## एक नजर में

### री-एग्जाम पर प्रधान की हाई लेवल मीटिंग

**नई दिल्ली, 18 जून.** केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी री-एग्जाम की तैयारियों को लेकर एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. यह बैठक शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और उच्च शिक्षा संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य परीक्षा की निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना था. शिक्षा मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए.

### जवानों से मारपीट करने वाले आरोपी गिरफ्तार

**पिथौरागढ़, 18 जून.** उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के वड्डा बाजार में दो सैनिकों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल करने के मामले में पुलिस ने गुरुवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत 04 जून को वड्डा बाजार में सेना के दो जवानों के साथ स्थानीय व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई थी, जिसमें सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे. मामले में थाना जाजरदेवल में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष जाजरदेवल मनोज पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई. टीम ने सुरागरसी, साक्ष्य संकलन और पतारसी के आधार पर घटना में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

### बिहार के नए महाधिवक्ता बने एस.डी. संजय

**पटना, 18 जून.** बिहार सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.डी. संजय को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई. यह नियुक्ति पूर्व महाधिवक्ता पी.के. शाही के 14 जून 2026 को दिए गए इस्तीफे के बाद की गई है. पी.के. शाही को 16 जनवरी 2023 को नीतीश कुमार सरकार ने महाधिवक्ता नियुक्त किया था. उनके इस्तीफे के बाद राज्य सरकार ने नए महाधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करते हुए एस.डी. संजय के नाम पर मुहर लगा दी. देश के प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञों में शुमार एस.डी. संजय ने वर्ष 1984 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से ऑनर्स सहित एलएलबी की डिग्री प्राप्त की थी. इसके बाद उन्होंने पटना हाई कोर्ट में वकालत की शुरुआत की.

### मणिपुर में बरामद हथियार और बंकर किए नष्ट

**इंफाल, 18 जून.** सुरक्षा बलों ने बुधवार को मणिपुर के कई जिलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया और इस दौरान हथियार तथा गोला-बारूद बरामद किये, बंकर हटाये और अवैध चेक पोस्ट नष्ट किये गये. सुरक्षा बलों ने सबसे अहम अभियान में कांगपोकपी जिले के लीमाखोंग थाना क्षेत्र में आने वाले चार गांवों लीलोन वाइफेई, लीलोन खुनौ, एल. मुनलुई और कोंसाखुल में तलाशी ली.

# राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बड़ा खुलासा

▸ सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ के संकेत मिले

**लखनऊ, 18 जून. राम मंदिर दानराशि में गड़बड़ी की जांच लगातार जारी है. एसआईटी ने लगातार चौथे दिन भी संदिग्ध लोगों से पूछताछ की. बृहस्पतिवार को राम मंदिर के मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र से पूछताछ की गई.**

एसआईटी ने पिछले तीन दिनों में 60 से अधिक लोगों से पूछताछ की है. दान गणना प्रक्रिया, मंदिर से बैंक तक धनराशि को ले जाने की प्रक्रिया समझी गई. सीसीटीवी कैमरों की जांच हुई. जांच में सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ के भी सबूत मिले हैं. इसी बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं. वे राम मंदिर में दर्शन करने भी जाएंगे. जानकारी के अनुसार एसआईटी शुक्रवार को जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री को सौंप सकती है. वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब तक की जांच में जो दोषी पाए गए हैं उन पर एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है. एसआईटी चंपत राय, गोपाल राव समेत राममंदिर ट्रस्ट के कई अन्य पदाधिकारियों व उनसे जुड़े लोगों से गहनता से पूछताछ कर रही है.

> सूत्रों के मुताबिक ये लोग कई सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं. कई सवालों के गोलमोल जवाब दे रहे हैं. वहीं, दान के दिए गए रिकॉर्ड से भी एसआईटी संतुष्ट नहीं है क्योंकि उसमें भी कई चीजें अस्पष्ट हैं. इसलिए एसआईटी को जांच में अधिक समय लग रहा है. विशेष जांच दल ने पूछताछ के लिए करीब दो सौ लोगों की सूची तैयार की है. इनमें से सवा सौ लोगों से पूछताछ कर चुकी है.

इनमें से कुछ से कई बार

# आतंकवाद और नशीले पदार्थों से निपटने पर चर्चा

**अमित शाह से मिले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर**

**नई दिल्ली 18. फ्रांस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मुलाकात के बाद भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने गुरुवार को यहां केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने विशेष रूप से आतंकवाद तथा नशील पदार्थों की तस्करी से निपटने के मुद्दों पर बात की.**

श्री गोर श्री ट्रंप और श्री मोदी की मुलाकात के दौरान बुधवार रात फ्रांस के शहर एवियन में ही थे और वहा से सीधे यहां आये हैं. भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तार अमित शाह ने श्री गोर के साथ मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मुलाकात की जानकारी दी. दोनों ने विशेष रूप से सुरक्षा के क्षेत्र में, खासकर आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई. गृह मंत्री ने कहा कि आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की. सुरक्षा के क्षेत्र में, खासकर आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटनेभारत और अमेरिका के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई.

# ऋतव्रत ही बंगाल के नेता प्रतिपक्ष

▸ पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हाई कोर्ट से झटका

**कोलकाता, 18 जून. पश्चिम बंगाल में एक साथ कई मुश्किलों और चुनौतियों से जूझ रही ममता बनर्जी को अब विधानसभा में नेता विपक्ष के मुद्दे पर ब?ा झटका लगा है. गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी के बागी नेता ऋतब्रत बनर्जी को नेता विपक्ष बनाए जाने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया.**

ममता बनर्जी ने चुनावों के बाद शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता विपक्ष बनाया था, लेकिन उनकी नियुक्ति में विधायकों के फर्जी दस्तखत का आरोप लगा. इसके बाद पार्टी विधायकों में बगावत हुई. उन्होंने ऋतब्रत बनर्जी को नेता चुना था. ऋतब्रत बनर्जी को विधानसभा अध्यक्ष ने नेता विपक्ष मान लिया था. इस फैसले को ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जहां से अब ममता बनर्जी को झटका लगा है.

जस्टिस कृष्णा राव ने इस मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, जिससे स्पीकर का फैसला अगली सुनवाई तक लागू रहेगा.

# सांसदों को लीला होटल से जयपुर शिफ्ट किया

> राजाभाऊ वाजे का यह बयान ऐसे समय आया है, जब महाराष्ट्र में कथित ऑपरेशन टाइगर को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं. राजनीतिक गलियारों में यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि शिवसेना के 9 सांसदों में से 7 सांसद एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में हैं और वे सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं. इस बीच, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उन्होंने कहा कि भाजपा का शिवसेना के सांसदों या विधायकों के संभावित दल-बदल से कोई संबंध नहीं है.

▸ भड़के संजय राउत शुरू करेंगे ऑपरेशन तुड़वा

**मुंबई, 18 जून.** महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. शिवसेना में संभावित टूट और सांसदों के दल-बदल की अटकलों के बीच पार्टी के लोकसभा सांसद राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे ने स्पष्ट किया कि वह पूरी तरह से पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ हैं और भविष्य में भी उनके साथ ही बने रहेंगे. वाजे ने उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया जा रहा था कि शिवसेना के कई सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे ऐसी किसी बात की जानकारी नहीं है. मैंने पार्टी की बैठक में भी अपना रुख साफ कर दिया है कि मैं उद्धव ठाकरे के साथ हूं और हमेशा रहूंगा.' वहीं, पार्टी के एक और सांसद अरविंद सावंत ने 'ऑपरेशन टाइगर' को खारिज करते हुए दावा किया कि 14 जून को उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में पार्टी के सभी सांसद शामिल हुए थे.

# त्रि-भाषा नीति पर राहत नहीं

**नई दिल्ली, 18 जून.** उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की त्रि-भाषा नीति को लागू करने को चुनौती देने वाली याचिका पर कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. यह नयी नीति शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू की जानी है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने नीति के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. न्यायालय ने पीपुल फॉर एक्टिव डेमोक्रेसी नामक स्वयंसेवी संस्था की दायर इस याचिका को उन याचिकाओं के साथ जोड़ दिया जो शैक्षणिक सत्र 2026-27 से त्रि-भाषा नीति लागू करने के खिलाफ पहले से ही न्यायालय के समक्ष लंबित हैं.

# कब रुकेगा पेपर लीक : केजरीवाल

**आईएएफ विमान से टेलीग्राम बैन तक, सरकार पर निशाना**

**नई दिल्ली, 18 जून. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सहयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया है.**

उन्होंने सरकार की कार्यशैली, कानून-व्यवस्था और डिजिटल नीतियों पर सवाल उठाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उनके अनुसार, देश में लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों ने शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता को कमजोर कर दिया है.

केजरीवाल ने अपने पोस्ट में दावा किया कि पेपर लीक एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है, जिसमें बड़े पैमाने पर पैसों का लेन-देन होता है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस अवैध कमाई का उपयोग राजनीतिक प्रभाव खरीदने में किया जाता है, जिसमें सांसदों और विधायकों की खरीद-फरोख्त जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं. इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सरकार की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए.

टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कथित बैन या प्रतिबंध की खबरों को लेकर उन्होंने कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है. उनके अनुसार, सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कदम उठा रही है. केजरीवाल का यह बयान आगामी चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकता है. विपक्ष इसे सरकार की विफलताओं की सूची में जोड़ रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि यह बयान तथ्यों से परे और राजनीतिक लाभ के लिए दिया गया है. सोशल मीडिया पर यह बयान तेजी से फैल रहा है और लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

# यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर किया ड्रोन अटैक

**मॉस्को, 18 जून.** यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक किया है. यूक्रेनी ड्रोन ने मॉस्को के कपोटन्या जिले में ऑयल रिफाइनरी के स्टोरेज टैंक पर हमला किया. यह रिफाइनरी शहर की सबसे अहम फ्यूल-प्रोसेसिंग सुविधाओं में से एक है. सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्यूल स्टोरेज टैंक में जोरदार धमाका हुआ, जिससे उसकी छत हवा में उड़ गई और आग लग गई. इसके बाद रिफाइनरी से आग की लपटें और काला धुआं उठता दिखाई दिया. हमले को लेकर सामने आए वीडियो में मॉस्को ऑयल रिफाइनरी में स्टोरेज टैंक से टकराते यूक्रेनी अटैक ड्रोन का फुटेज दिखा.


**CHANGE OF NAME**

I Rajkumar Ojha S/O, Radheshyam Ojha R/o A-86 Royal Residency, Mhow, Indore 453441 have changed my name to Rajkumar Jha.

**KONICHIWA CHEMICALS PVT. LTD.**
Maharajapur, Karonda Bypass, Opp. Bank of Baroda, Jabalpur (M.P.)
In pursuance to the Order No.2900(E) Dated 24th October, 2015 issued by Department of Agriculture and Co-operation, Ministry of Agriculture Govt. of India, **KONICHIWA CHEMICALS PVT. LTD.** Hereby notifies that it intends to Introduce 100% Water Soluble Mixture of Fertilizer like -
(1) N.P.K. (19:19:19) (YARU 19:19:19)
(2) N.P.K. (13:40:13) (YARU13:40:13)
(3) N.P.K. (20:20:20) (YARU 20:20:20)
We will comply with terms and condition as per the above notification of Govt. of India.
Mobile : 91384-00002

**केनरा बैंक Canara Bank**
भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate
प्रधान कार्यालय : 112, जे.सी. रोड, बैंगलूर - 562002
क्षेत्रीय कार्यालय: ओमेगा टॉवर, तीसरी मंजिल, 32 मैकेनिक नगर, भमोरी, इंदौर फोन: 70499 19126

**कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)**

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने **केनरा बैंक, केसरबाग रोड शाखा, इंदौर** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन **अधिनियम** 2002 की धारा के अंतर्गत, सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) **अधिनियम 2002 का अधिनियम संख्यांक 54** के साथ पठित, **सेक्शन 13 (12) नियम 3** के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधोलिखित खाते के सामने दर्शाई गई तारीख को नोटिस जारी कर ऋणियों को नोटिस की तारीख/ नोटिस प्राप्ति को तारीख से **60 दिन** के अंदर उक्त खाते के सामने दर्शाई गई राशि अदा करने के लिए कहा था। ऋणी उक्त राशि चुकाने में असफल रहा है अत: ऋणियों तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट के सेक्शन **13 (4)** उक्त एक्ट के साथ पठित उक्त रूल्स के नियम **9** के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधोलिखित संपत्ति का कब्जा उक्त खाते के सामने दर्शाई गई तारीख को ले लिया है। एतद् द्वारा ऋणियों को विशेष एवं जनसाधारण को सामान्य रूप से सचेत किया जाता है कि उक्त संपत्ति विषयक कोई संव्यवहार न करें ऐसा कोई भी संव्यवहार वसूल की जाने वाली उल्लेखित राशि एवं उस पर देय ब्याज एवं अन्य खर्चो हेतु **केनरा बैंक, केसरबाग रोड शाखा, इंदौर** के प्रभार के अधीन रहेगा।

| क्रं. | शाखा का नाम एवं मोबाईल नं. | ऋणी/जमानतदार/ बंधककर्ता का नाम | बंधक संपत्ति का विवरण | मांग नोटिस की बकाया राशि (₹) | मांग नोटिस की दिनांक / कब्जा लेने/चस्पा करने की दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | केसरबाग रोड शाखा, इन्दौर 7049919127 | मेसर्स हर हर महादेव, प्रोप्रायटर श्रीमती परिनीता पांढारकर, श्रीमती परिनीता पांढारकर पति हेमेन्द्र पांढारकर एवं श्री हेमेन्द्र पांढारकर पिता राजेन्द्र पांढारकर (ऋणी एवं बंधककर्ता) | 1. फ्लेट नं. 306, तीसरी मंजिल, श्री राधे ग्रीन पार्क, ब्लॉक-बी, ए.बी. रोड, हुकुमखेड़ी, खेड़ापती हनुमान मंदिर के पास, राजेन्द्र नगर, इन्दौर (म.प्र.) 452012, **क्षेत्रफल: 430 वर्गफीट (बिल्ट अप), मालिक: 1. श्रीमती परिनीता पांढारकर पति हेमेन्द्र पांढारकर, 2. श्री हेमेन्द्र पांढारकर पिता राजेन्द्र पांढारकर, चर्तु:सीमा: उत्तर:** ओपन, **दक्षिण:** पेसेज, **पूर्व:** फ्लेट नं. 307, **पश्चिम:** ओपन एवं फ्लेट नं. 305<br>2. फ्लेट नं. जी-4, तल मंजिल, प्लाट नं. 151, उत्कृष्ठ अपार्टमेंट, धनवंतरी नगर, इन्दौर (म.प्र.) 452012, **क्षेत्रफल: 450 वर्गफीट (सुपर बिल्ट अप), मालिक: श्रीमती परिनीता पांढारकर पति हेमेन्द्र पांढारकर, चर्तु:सीमा: उत्तर:** फ्लेट नं. जी-3, **दक्षिण:** प्लाट नं. 152, **पूर्व:** बेकलेन, **पश्चिम:** सिढ़ी | **51,48,915.38** + दिनांक 07.04.2026 से देय ब्याज एवं अन्य खर्चे | 07.04.2026 / 17.06.2026 |

स्थान : इन्दौर, दिनांक : 19.06.2026 — प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

**न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी इन्दौर**
(श्री रोशन राय अपर कलेक्टर जिला इन्दौर कक्ष क्रमांक: 109)
क्रमांक/746/अकरी-4/2026 — प्रकरण क्रमांक/0062/ब-121/2026-27 — इन्दौर, दिनांक 10.06.2026
**विज्ञप्ति प्रकाशन**
**प्रति,**
**1 श्रीमती निलम चिखले पति श्री सुरेन्द्र सिंह रावल**
**2. श्री सुरेन्द्र सिंह रावल पिता श्री नंदलाल रावल**
**3. श्रीमती भारती चिखले पिता रविन्द्र चिखले**
**सभी का पता - सी 492 नया स्वास्थ नगर सुखलिया जिला इंदौर म.प्र.**
**अन्य पता -: प्रकोष्ठ क्र 308 ब्लाक नं 09 तीसरी मंजिल पलाश परिसर 2 ओमेक्स हिल के पीछे निहालपुर मुंडी तहसील राऊ जिला इंदौर म.प्र.**
प्राथी प्राधिकृत अधिकारी वंडर होम फायनेंस लिमिटेड द्वारा निवेदन किया कि बंधक संपत्ति - प्रकोष्ठ क्र ए - 09/308 ब्लाक नं 09 तीसरी मंजिल पलाश परिसर -2 नगर निगम क्षेत्र ग्राम निहालपुर मुंडी तहसील एवं जिला इंदौर म. प्र. जिसका कुल क्षेत्रफल 34.98 वर्ग फीट पर बकाया ऋण राशि रू06,86,249.00+/-.+ब्याज व अन्य खर्चे का चुकारा आपके द्वारा नही किया गया। ओर न ही प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा ही सौपा गया है। अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एव पुर्नगठन ओर प्रतिभूतहित प्रवतन अधिनियम कि धारा 14 मे प्रतिभूति के रूप मे राखी सम्पत्ति का कब्जा दिलाया जावे।
अतः इस संबंध मे एतत द्वारा सूचित किया जाता है कि मामले कि सुनवाई हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर जिला इंदौर (कक्ष क्रमांक - 109 मे दिनांक 22-06-2026 को दोपहर 02:00 बजे होगी।) आप प्रकरण के संबंध मे समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहे। आपकी अनुपस्थिति कि दशा मे प्रकरण मे एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।
**(रोशन राय) अपर, जिला दण्डाधिकारी, जिला -इन्दौर**

**कब्जे की सूचना - (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8-(1)**
चूँकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से विख्यात) (IIFL-HFL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकताओं को राशि चुकाने के लिए एक माँग नोटिस जारी किया गया था, अतः उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा संपत्ति से संबंधित लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन IIFL HFL द्वारा यहां उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज सहित प्रभारित किया जाएगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, यदि उधारकर्ता बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय "IIFL HFL" की बकाया राशि, सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों का भुगतान कर देता है, तो सुरक्षित संपत्तियां "IIFL HFL" द्वारा बेची या हस्तांतरित नहीं की जाएंगी और सुरक्षित संपत्तियों के हस्तांतरण या बिक्री के लिए "IIFL HFL" द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

| उधारकर्ता का नाम /सह-उधारकर्ता | सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति) | कुल बकाया बकाया राशि (रु.) | मांग सूचना की तिथि | कब्जे की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| श्री बलवान सिंह श्रीमती रीना बाई (प्रॉस्पेक्ट नं. 875498) | गोल्डन सिटी, देवास में प्लॉट नंबर E-13 का पूरा हिस्सा (पताः E-13, देवास, 455001, मध्य प्रदेश, भारत)। क्षेत्रफल (वर्ग फीट में): प्रॉपर्टी का प्रकारः जमीन का हिस्सा प्रॉपर्टी का एरियाः 376.3 | रू. 2,31,601/- दो लाख इकतीस हजार छह सौ एक मात्र | 16-03-2026 | 16-06-2026 |

अधिक जानकारी के लिए कृपया अधिकृत अधिकारी से संपर्क करें: ब्रांच ऑफिस - 102/103, दर्शन मॉल, 15/2 रेस कोर्स रोड, इंदौर - 452001, मध्य प्रदेश या कॉर्पोरेट ऑफिस - प्लॉट नंबर 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा।
स्थान: इंदौर, दिनांक: 19.06.2026 — एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए।

बिक्री/ई-नीलामी नोटिस
**आईबीडी यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड परिसमापन में**
CIN: U45201MP1999PTC013634
पंजीकृत पताः TF-03, ब्लॉक नंबर-03, प्लॉट नंबर-7 महेंद्र बिजनेस स्क्वायर, बावड़िया कलां, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत, 462039
कंपनी परिसमापन के तहत माननीय NCLT आदेश दिनांक 22.05.2024 के तहत IA-12/2024 Liq और C.P. (IB)/353/PB/2022.
**कॉर्पोरेट देनदार की संपत्तियों की बिक्री को 'संपत्तियों के सेट के रूप में सामूहिक रूप से' बेचा जा रहा है,** जैसा कि विनियमन 32 के उपखंड (c), विनियमन 33 की उप-विनियमन (1) और भारतीय दिवाला और दिवालापन बोर्ड (लिक्विडेशन प्रक्रिया) विनियम, 2016 की अनुसूची I में निर्दिष्ट है, जिसके तहत **लिक्विडेटर श्री कुलदीप टांक को माननीय NCLT Principal Bench द्वारा दिनांक 04.12.2024 के इसके आदेश सं. IA-5688/2024, C.P. (IB)-353(PB)/2022** के तहत नियुक्त किया गया। यह बिक्री ई-नीलामी प्लेटफॉर्म https://ibbi.baanknet.com के माध्यम से की गई।

| क्र. सं. | विवरण | ब्यौरा |
|---|---|---|
| | | **ब्लॉक-A से D: संयुक्त रूप से आस्तियों के किसी समूह का** (विनियमन 32(c) के तहत) |
| 1. | बिक्री नोटिस और ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज के प्रकाशन की तिथि | 19/06/2026 |
| 2. | इच्छुक बोलीदाता द्वारा 29ए पात्रता दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन बोली आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि | 19/06/2026 सुबह 11:00 बजे से 10/07/2026 शाम 05:00 बजे तक |
| 3. | नीलामी के अंतर्गत परिसंपत्तियों के निरीक्षण या यथोचित परिश्रम की तिथि और समय (पूर्व नियुक्ति के साथ) | 19/06/2026 सुबह 11:00 बजे से 09/07/2026 शाम 05:00 बजे तक |
| 4. | इच्छुक बोलीदाता द्वारा बयाना राशि जमा करने की तिथि और समय | 20/06/2026 सुबह 11:00 बजे से 10/07/2026 शाम 05:00 बजे तक |
| 5. | नीलामी की तिथि और समय | सोमवार, 13/07/2026 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट का असीमित विस्तार) |
| 6. | उच्चतम बोलीदाता की घोषणा | 16/07/2026 |
| 7. | सफल बोलीदाता की घोषणा | संभावित रूप से 20/07/2026 |
| 8. | परिसमापक का पता और ईमेल | 202, ब्लॉक-ए, द वन, आरएनटी मार्ग, इंदौर-452001 ibduniversal21@gmail.com |

**ब्लॉक-A से D:**
**आईबीबीआई परिसमापन प्रक्रिया विनियमन 2016 के विनियमन 32(c) के तहत सामूहिक रूप से परिसंपत्तियों का सेट (विनियमन 32(c) के तहत) जिसमें भूमि, भवन, प्रतिभूतियाँ और वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं, जहां है जैसा है, जो भी है आधार पर और बिना किसी सहारे के आधार पर आईबीडी यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड, परिसमापन में ("कॉर्पोरेट देनदार") परिसंपत्तियों की बिक्री**

| ब्लॉक | आस्तियों का विवरण | नीलामी का तिथि एवं समय | आरक्षित मूल्य रु. | ईएमडी रु. | बोली वृद्धि राशि रु. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | आईबीडी रॉयल सिटी, ग्राम - रायपुर, तहसील और जिला- होशंगाबाद (नर्मदापुरम)- 461001 पर प्लॉटों में कॉर्पोरेट देनदार के सभी अधिकार सहित। (अधिक जानकारी बिक्री दस्तावेज में देखें) | सोमवार 13/07/2026 सुबह 11:00 तक से दोप. 02:00 तक (प्रत्येक 5 मिनट का असीमित विस्तार) | **2,41,98,055** | 24,19,806 | 5,00,000 |
| B | आईबीडी हॉलमार्क सिटी, कोलार रोड, भोपाल में 25 (1862.79 वर्ग मीटर) आंशिक रूप से पूर्ण/लगभग पूर्ण फ्लैटों में कॉर्पोरेट देनदार के सभी अधिकार सहित। (अधिक जानकारी बिक्री दस्तावेज में देखें) | | **2,41,00,863** | 24,10,086 | 5,00,000 |
| C | आईबीडी हॉलमार्क सिटी, कोलार रोड, भोपाल में ब्लॉक B के अलावा कॉर्पोरेट देनदार के सभी अधिकार सहित। (अधिक जानकारी बिक्री दस्तावेज में देखें) | | **6,24,90,382** | 62,49,038 | 10,00,000 |
| D | कॉर्पोरेट देनदार की सभी सुरक्षा और वित्तीय संपत्तियाँ। (अधिक जानकारी बिक्री दस्तावेज में देखें) | | **1,22,88,356** | 12,28,836 | 5,00,000 |

आरक्षित मूल्य में कर, जीएसटी, टीडीएस, शुल्क, प्रभार, शुल्क, स्थानांतरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, प्रीमियम आदि शामिल नहीं हैं वारंटी और क्षतिपूर्ति के बारे में कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा।
**ई-नीलामी के नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:**
1. इच्छुक बोलीदाताओं को अपने मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी का उपयोग करके https://ibbi.baanknet.com के माध्यम से पंजीकरण करना आवश्यक है। सहायता के लिए संपर्क करें: support.baanknet@psballiance.com / मोबाइल नंबर +91 8291220220
2. परिसमापक का संपर्क विवरण: श्री कुलदीप टाँक ईमेल: ibduniversal21@gmail.com संपर्क नंबर 9826677735
3. संपत्तियों का विवरण, ऑनलाइन ई-नीलामी बोली फॉर्म, घोषणा और वचनबद्धता फॉर्म, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शर्तें युक्त संपूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाइट https://ibbi.baanknet.com/ पर उपलब्ध हैं।
4. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के स्वामित्व, अन्य, यदि कोई हो, स्थानीय प्रशासन के बकाए आदि के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। और उपरोक्त परिसंपत्तियों की बिक्री पर यदि कोई हस्तांतरण शुल्क होगा तो उसे वहन करेंगे और अपने खर्च पर संपत्ति का निरीक्षण करेंगे और खुद को संतुष्ट करेंगे। ऊपर उल्लिखित परिसंपत्तियों का विवरण संभावित बोलीदाताओं द्वारा साइट पर परिसमापक और उसकी टीम से संपर्क करके निरीक्षण किया जा सकता है।
5. ब्लॉक A, ब्लॉक B, ब्लॉक C, और ब्लॉक D, की नीलामी सामूहिक रूप से एक ब्लॉक में सभी संपत्तियों के लिए होगी।
6. बिक्री नोटिस को ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज के साथ पढ़ा जाना चाहिए और साथ ही उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों से सहमत होना चाहिए जो https://ibbi.baanknet.com पर उपलब्ध है।
7. संभावित बोलीदाता केवल बैंकनेट नीलामी मंच के माध्यम से बयाना राशि जमा (EMD) जमा करेगा।
8. संभावित बोलीदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक नीलामी मंच के माध्यम से दिवालियापन और दिवालियापन संहिता की धारा 29 ए के तहत पात्रता की घोषणा सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
9. **यदि उच्चतम बोलीदाता अयोग्य पाया जाता है, जिसमें उपरोक्त क्रमांक 8 के तहत उल्लिखित बोलीदाता भी शामिल है, तो ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।**
10. यदि परिसमापक परामर्श समिति के परामर्श से उच्चतम बोलीदाता को अयोग्य पाते हुए अस्वीकार कर देता है, तो परिसमापक परामर्श समिति के परामर्श से विनियमों के खंड (12ए) से खंड (12ई) के अंतर्गत प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन करने के बाद अगले उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित कर सकता है।
11. सफल बोलीदाता को लागू स्टाम्प शुल्क/लीज हस्तांतरण शुल्क, फीस आदि और सभी स्थानीय कर, शुल्क, दरें, मूल्यांकन शुल्क